



FOR COMPETITIVE EXAMS

HINDU LAW

LAW CLASSES JAIPUR

**RJS, MPCJ UPCJ HARYANA JUDICIARY
BIHAR CJ & DELHI JUDICIARY**

**हिंदी
माध्यम**

KEY ACTS INCLUDED:

- 1. THE HINDU MARRIAGE ACT, 1955**
- 2. THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956**
- 3. THE HINDU MINORITY AND GUARDININSHIP ACT, 1956**
- 4. THE HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956**

**2ND FLOOR, GANESH TOWER, OPP JP UNDERPASS, LAL KOTHI
JAIPUR RAJATHAN 302015**

➤ PUBLISHED BY: - LAW CLASSES JAIPUR, 9414234222

➤ BUY ALL SUBJECT NOTES VISIT ON

www.lawclassesjaipur.com

1. 1ST EDITION AUGUST 2025

DOWNLOAD APP FROM PLAY STORE “LAW CLASSES JAIPUR”

**LAW CLASSES
JAIPUR**

RJS MAINS
Both English & Hindi Medium

**New Batch
STARTS
02 August**
| 08:00 AM

**JUDGEMENT
WRITING** 

**Offline
&
Online**

**Foundation Batch
RJS + APO + JLO**

Register Now & Get Contact Demo

 **8264604505**

 www.lawclassesjaipur.com 9414234222

Opp. JP Underpass, Lal Kothi, JAIPUR - 302015

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उद्देश्य (Historical Perspective and Objectives):

- **पूर्व स्थिति:** 1955 से पहले, हिंदुओं के व्यक्तिगत कानून विभिन्न शास्त्रों, स्मृतियों, रूढ़ियों और प्रथाओं पर आधारित थे, जो अक्सर असंगत और जटिल होते थे।
- **आवश्यकता:** एकरूपता लाने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और विवाह एवं तलाक से संबंधित स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए एक संहिताकरण की आवश्यकता महसूस की गई।
- **उद्देश्य:** अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के बीच विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करना, कुछ रूढ़ियों को मान्य करना और प्रगतिशील सुधार लाना था। इसने एकपत्नीत्व को अनिवार्य किया, विवाह योग्य आयु निर्धारित की और तलाक के लिए कानूनी आधार प्रदान किए।

अधिनियम का विस्तार और लागू होना (Extent and Applicability) - धारा 1 और 2:

- **धारा 1 (संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ):** यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है।
- **धारा 2 (अधिनियम का लागू होना):** यह धारा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि यह अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है:
 - **(क) कोई व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हो:** इसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्राह्मण समाज के सदस्य शामिल हैं; या जो आर्य समाज के अनुयायी हैं।
 - **(ख) कोई व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हो:** यह स्पष्ट करता है कि ये समुदाय भी हिंदू कानून के तहत आते हैं।
 - **(ग) कोई अन्य व्यक्ति जो अधिनियम के लागू न होने पर हिंदू विधि द्वारा शासित होता:** इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।
 - **स्पष्टीकरण:**
 - इसमें वे सभी शामिल हैं जिनके माता-पिता में से कोई एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है और जिसे हिंदू के रूप में पाला गया है।
 - इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो नाजायज हैं और जिनके माता-पिता दोनों में से एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है, और जिन्हें हिंदू के रूप में पाला गया है।
 - इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है।
- **अपवाद:** यह मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म के सदस्यों पर लागू नहीं होता है।

3. परिभाषाएं (Definitions) - धारा 3:

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं:

- **(क) रूढ़ि और प्रथा (Custom and Usage):** इसका अर्थ है नियम का कोई क्रम, जो लंबी अवधि से लगातार और समान रूप से देखा जाता रहा हो, और जो हिंदू समुदाय के किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, परिवार या समूह में कानून का बल प्राप्त कर चुका हो। यह निश्चित और उचित होना चाहिए तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

- **(छ) प्रतिषिद्ध संबंध की डिग्रियां (Degrees of Prohibited Relationship):** यह एक विस्तृत सूची है जिसमें वे रिश्ते शामिल हैं जिनके भीतर विवाह वर्जित है। यह सीधे रक्त संबंध (lineal ascendants/descendants) और कुछ सहोदर संबंधों को कवर करता है। उदाहरण के लिए, भाई-बहन, चाचा-भतीजी, मामा-भांजी आदि।
- **(ज) सपिंड संबंध (Sapinda Relationship):** यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सपिंड संबंध "पिंड" (शरीर के कणों) से उत्पन्न होता है।
 - यह पिता के माध्यम से 5 पीढ़ियों (स्वयं सहित) और माता के माध्यम से 3 पीढ़ियों (स्वयं सहित) तक फैला हुआ है।
 - दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहलाते हैं यदि उनमें से एक दूसरे का सपिंड वंशज है, या यदि उनके पास एक ही सामान्य पूर्वज है जो दोनों का सपिंड संबंध के भीतर आता है।

वैध हिंदू विवाह की शर्तें (Conditions for a Valid Hindu Marriage) - धारा 5 पर विश्लेषण:

- **(i) द्विविवाह का अभाव:** यह हिंदू विवाह अधिनियम का एक मौलिक सिद्धांत है। यदि किसी पक्ष का पहले से जीवित पति/पत्नी है, तो विवाह शून्य होगा (धारा 11)।
- **(ii) मानसिक क्षमता:**
 - **(क) विवाह के लिए वैध सहमति देने में असमर्थता:** यदि कोई पक्ष मानसिक रुग्णता या विकृति के कारण विवाह के लिए वैध सहमति देने में असमर्थ है, तो विवाह शून्यकरणीय होगा (धारा 12)।
 - **(ख) भले ही सक्षम हो, संतानोत्पत्ति के लिए अनुपयुक्त:** यदि मानसिक विकार इतना है कि वह संतानोत्पत्ति या विवाह के लिए अनुपयुक्त है।
 - **(ग) उन्मत्तता या मिर्गी के बार-बार दौरे:** यह आधार भी शून्यकरणीय विवाह का कारण बन सकता है।
- **(iii) विवाह योग्य आयु:** लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18। इस शर्त का उल्लंघन विवाह को शून्य नहीं बनाता, बल्कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय है। हालाँकि, यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक आधार नहीं है जिससे विवाह को शून्य या शून्यकरणीय किया जा सके, जब तक कि विवाह संपन्न न हो जाए।
- **(iv) प्रतिषिद्ध संबंध की डिग्रियां:** यदि पक्षकार प्रतिषिद्ध संबंध की डिग्रियों के भीतर हैं, तो विवाह शून्य होगा, जब तक कि उनके रीति-रिवाज या प्रथाएं इसकी अनुमति न दें (धारा 11)।
- **(v) सपिंड संबंध:** यदि पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं, तो विवाह शून्य होगा, जब तक कि उनके रीति-रिवाज या प्रथाएं इसकी अनुमति न दें (धारा 11)।

हिंदू विवाह का अनुष्ठापन (Solemnization of Hindu Marriage) - धारा 7:

- इस धारा में विवाह के विशिष्ट संस्कारों या रीति-रिवाजों का उल्लेख नहीं है। यह केवल यह कहता है कि विवाह किसी भी पक्ष की रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हो सकता है।
- **सप्तपदी का महत्व:** यदि इन रीति-रिवाजों में सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) शामिल है, तो सातवां फेरा पूरा होने पर विवाह वैध माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी हिंदू विवाहों के लिए सप्तपदी अनिवार्य नहीं है; यह केवल उन विवाहों में अनिवार्य है जहां यह संबंधित रीति-रिवाजों का हिस्सा है।

DEMO PDF
GET FULL NOTES AND BOOKS
Visit
www.lawclassesjaipur.com

वैवाहिक उपचार (Matrimonial Remedies):

- **धारा 9: वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights):**
 - **उद्देश्य:** यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहाँ पति या पत्नी में से कोई बिना किसी उचित कारण के दूसरे के सहवास से हट जाता है।
 - **याचिका:** पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।